छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 110 एवं 112/2006</u>

1.	**श्री राधेश्यामं कैवर्त,** **आत्मज श्री उमाशंकर कैवर्त,** **वार्ड कमांक-9, टाउन हॉल खरसिया,** **जिला- रायगढ़ (छत्तीसगढ़)**	-	***अपीलार्थी***

विरूद्ध

1.	***जन सूचना अधिकारी,*** **मुख्य नगरपालिका परिषद,** **खरसिया,** **जिला- रायगढ़ (छत्तीसगढ़)**	-	***प्रति अपीलार्थी***

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 20 जून, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आयोग के आदेश दिनांक 24.11.2006 के द्वारा प्रकरण में पूर्व में सुनवाई की जाकर आदेश पारित किया गया था तथा प्रकरण में अभिलेख ढूंढकर दिये जाने के निर्देश दिये गये थे और विभागीय जॉंच के पश्चात् दोषी लिपिक पर कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये गये थे तथा अभिलेख नही हो तो नस्तियों की पुनःसंरचना की जाकर अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान करने के निर्देश दिये गये थे । तत्पश्चात् अपीलार्थी श्री राधेश्याम द्वारा दिनांक 24.09.2007 को यह आवेदन प्रस्तुत किया कि उक्त आदेश का पालन निर्धारित समय-सीमा में नही किया गया है और उसे कोई दस्तावेज नही दिये गये । उक्त आवेदन प्राप्त होने पर प्रति अपीलार्थी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, खरसिया से प्रतिवेदन बुलाया गया और प्रतिवेदन प्राप्त नही होने पर जन सूचना अधिकारी को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 07.02.2008 को जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 07.03.2008 को प्रस्तुत किया गया । उत्तर में केवल यह बताया गया कि पूर्व जन सूचना अधिकारी के सेवानिवृत्त होने के बाद अन्य अधिकारी को जन सूचना अधिकारी बनाया गया है और प्रभार लेना-देना नही होने के कारण जानकारी नही दी जा सकी है तथा अभिलेखों का संधारण किया जा रहा है उसके तत्पश्चात् जानकारी दी जावेगी । चूंकि प्रकरण में पूर्व जन सूचना अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके है, अतः इस प्रकरण में शास्ति की कार्यवाही किया जाना आवश्यक प्रतीत नही होता है, अतः उक्त कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है ।

प्रकरण में मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निर्देश दिये गये थे कि जिन चार बिन्दुओं की जानकारी अभी मिलना शेष है और रिकार्ड मिलना नही बताया गया है, अतः रिकार्ड को पुनः ढूंढकर उक्त जानकारी 15 दिवस में अपीलार्थी को उपलब्ध कराया जावे और उक्त रिकार्ड नही मिलने पर पुलिस में रिपोर्ट की जावे तथा गुमने के लिए जारी विभागीय जांच में शीघ्र निर्णय लेकर आयोग एवं आवेदक को अवगत कराया जावे । जन सूचना अधिकारी ने दिनांक 26.05.2008 को उत्तर में यह भी बताया है कि दिनांक 26.02.2007 को पीआईसी की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था, जिसमें संकल्प क्रमांक-11 और विभागीय जांच का निर्णय लिया गया, किन्तु वर्तमान तक विभागीय जांच की प्रक्रिया प्रारंभ नही की गई है तथा दिनांक 25.03.2008 को एक नस्ती की पुनः संरचना की जाकर छायाप्रति दी गई है । प्रकरण में केवल आयोग के आदेश दिनांक 24.11.2006 का पालन अभी-तक नही हो पाया है और अपीलार्थी द्वारा मौखिक तर्क में यह बताया गया कि कलेक्टर, रायगढ़ द्वारा एक अन्य अपील प्रकरण में भी जो आदेश दिये गये थे, उनका भी पालन मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा नही किया जा रहा है, इससे यह प्रतीत होता है कि आयोग के आदेशों के विरूद्ध लापरवाही का रूख नगरपालिका द्वारा अपनाया गया है । साथ ही अपीलार्थी के मामले में भी दुराग्रहपूर्ण रवैया अपनाते हुये उन्हें चाही गई जानकारी प्रदान नही की जा रही है । अतः प्रकरण में अधिनियम की धारा-20(1) के अन्तर्गत संचालक, नगरीय प्रशासन को यह अनुशंसा की जाती है कि वे मुख्य नगरपालिका अधिकारी, खरसिया के विरूद्ध आयोग के आदेशों की अवहेलना और पालन में विलंब किये जाने के कारण उनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे । साथ ही संचालक को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी के लंबित सभी मामलों को वे मुख्य नगरपालिका अधिकारी और अपीलार्थी दोनों को बुलाकर स्वयं सुनवाई करें और उनका नियमानुसार एक माह में निराकरण करें । साथ ही अब मुख्य नगरपालिका अधिकारी, खरसिया को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे आयोग के पूर्व आदेश का पूर्ण रूप से एक माह के अन्दर पालन करना सुनिश्चित करें । प्रकरण में अपूर्ण एवं विलंब से जानकारी दिये जाने के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत नगरपालिका की ओर से राशि 1000/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील अपील का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त